30/5/25 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा० दी० पेश हुयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर है।

प्रार्थी/प्रतिवादी सं.-1 ने दौराने बहस प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चूंकि भूमि

सहायक कलक्टर जयपुर (उत्तर) प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम
संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30/5/26	वादग्रस्त पर आवासीय कॉलोनी विकसित हो गयी है। यह तथ्य मौका - कमिश्नर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः वाद - कारण के अभाव में एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी /वादी ने दौराने बहस ~~अपन~~ अपने जबावी तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलेक्टर ... प्रथम श्रेणी

फर्द अहकाम

बनाम

...म न्यायालय

...स संख्या Case 17/2023

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/25	काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित कृषि भूमि है एवं राज० काश्तकारी की अनुसूची 3 के क्रमांक संख्या 3 के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को है। अतः प्रार्थी / प्रतिवादी सं-1 का प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा० दी० खारिज फरमाया जावे। उभयपक्षों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मय रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि

फर्द अहकाम

बनाम

यालय

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/5/25	वादी ने यह वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। वादी ने वाद के चरण सं-02 में विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 190 रकबा 2.1119 है०, ग्राम चरण नदी, पटवार हलका नांगल जैसा बोहरा, तह० जयपुर का उल्लेख किया है। पत्रावली में संलग्न मौका-कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 08/4/24 के अनुसार" ख० न० 190 में मौके पर 1/2 हिस्से पर शांति नगर एवं 1/2 हिस्से पर श्री गणेश नगर कॉलोनी बनी हुयी है। अधिकांश हिस्से पर	

सहायक कलक्टर

फर्द अहकाम

बनाम [illegible]

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या [illegible] 17/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/5/25	डामर रोड डालकर मकान बने हुए है। आंशिक खाली जगह पर प्लाटिंग हो रखी है। मौके पर 08 दुकाने बनी हुयी है, पांच दुकानों तथा दो प्लॉटों का कार्य निर्माणाधीन है। मौके पर भूमि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आ रही है।" चूंकि वादी ने यह वाद बाबत् कृषि जोतों के विभाजन के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया है। एवं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक भूमि कृषि-कार्य के उपयोग में नहीं आ

सहायक [illegible]

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर ... केस बनाम ...

संख्या Case 17/2025

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/5/25	बताया है। अतः कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादी, वाद-कारण को सिद्ध करने में विफल रहा है। प्रार्थी का प्रा० पत्र आदेश 07 नियम 11 सि० प्र० सं० स्वीकार किया जाकर, वाद-कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	